

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1- बुद्ध देव पुत्र ददमत ब्राह्मण निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- वादीगण

बनाम

- 1- मगनलाल पिता हरिराम उर्फ हरि शंकर शर्मा निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- रामगोपाल पिता हरिराम उर्फ हरि शंकर शर्मा निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- विजयसिंह पिता सज्जनसिंह राजपूत निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट

मुकदमा नम्बर 169/2012 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण विरुद्ध वादी के अबेट हो जाने से अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 06 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा